भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2582
दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी

2582. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में भारत का हिस्सा मात्र 3.5 प्रतिशत आंका गया है, तथा इसे वर्ष 2040 तक बढ़ाकर 5-6 प्रतिशत करने की महत्वाकांक्षा है;

(ख) यदि हां, तो वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी बढ़ाने हेतु नवोन्मेष तथा मूल्यवर्धित रासायनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के उपायों सहित कौन-सी कार्यनीति तैयार की गई है;

(ग) भारतीय रासायनिक कंपनियों को मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन से आगे बढ़कर वैश्विक बाजारों हेतु अलग तथा नवोन्मेषी रासायनिक समाधान विकसित करने में सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई उत्पादन-सह-प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अथवा निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) जुलाई, 2025 में जारी नीति आयोग की रसायन उद्योग संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी 3-3.5% है। सरकार ने अवसंरचना संवर्धन, नवोन्मेष को बढ़ावा देने और निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए हैं, जिनका समग्र उद्देश्य वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में देश को एकीकृत रूप से बढ़ाना है।

2. अवसंरचना संबंधी पहल:

2.1 रासायनिक पार्कों की स्थापना की योजना:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य-रसायन (भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन) योजना को 24 जुलाई, 2026 को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके तहत चैलेंज रूट के अंतर्गत कुल 3,030 करोड़ रुपये के बजट से देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तदनुसार, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना के दिशानिर्देशों और चयन मानदंडों के अनुसार, रासायनिक पार्क की स्थापना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक रासायनिक पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का योगदान किया जाए। इस पहल का उद्देश्य लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो सके और भारतीय उद्योग का वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण बढ़ाया जा सके।

2.2 पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति, 2007 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश (क्षेत्र) में निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। पीसीपीआईआर की संकल्पना क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के साथ की गई है, जिसमें सामान्य अवसंरचना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि व्यवसायों की स्थापना के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान किया जा सके। पीसीपीआईआर रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल रूप से बढ़ावा देते हैं।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम-काकीनाडा), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं। इन तीनों पीसीपीआईआर क्षेत्रों में अब तक कुल 3,49,192 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और कुल 2246 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे 3,71,263 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ है।

2.3 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना

इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं से लैस आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क स्थापित करना है, ताकि घरेलू प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित किया जा सके। योजना का व्यापक उद्देश्य निवेश, उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है। मध्य प्रदेश (दो प्लास्टिक पार्क), ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क अनुमोदित किए गए हैं।

3. अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहल:

3.1 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की योजना:

इस योजना के तहत, विभाग रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में मौजूदा प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने और नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। उत्कृष्टता केंद्रों (सीओईएस) से अपेक्षा की जाती है कि वे नए उपयोगों के लिए उत्पादों को अद्यतन करने, नवीन उत्पाद प्रौद्योगिकी विकसित करने, उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करने आदि की दिशा में कार्य करें। इस योजना के तहत, भारत सरकार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है। इस संबंध में 18 उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. निर्यात प्रोत्साहन पहल:

4.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन संवर्धन एवं विकास योजना के माध्यम से उद्योग संवर्धन कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम निर्यात को बढ़ावा देने, इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने, आयात प्रतिस्थापन, कौशल विकास और क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए सतत विकास संबंधी पहलों में सहायक होते हैं।

4.2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम)** को अनुमोदन प्रदान किया है। यह मिशन रसायन और पेट्रोरसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा।

- **निर्यात प्रोत्साहन**– इसका उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरेल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए क्रेडिट संवर्धन सहायता जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करना है।

- **निर्यात दिशा**– यह गैर-वित्तीय सहायक माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं, जिनमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन में सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन रिइम्बर्समेंट तथा संबंधी जानकारी एवं क्षमता-निर्माण पहल शामिल हैं।

4.3 भारत सरकार निर्यात अवसंरचना में मौजूद कमियों को दूर करके और केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का निर्माण करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात के लिए **व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)** क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत बॉर्डर हाट, भूमि सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुष्क बंदरगाह, निर्यात भंडारण और पैकेजिंग केंद्र, एसईजेड और बंदरगाह/हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनसों जैसी निर्यात से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगी।

4.4 **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना** का कार्यान्वयन, जिसे दिसंबर 2022 से कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

4.5 सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल प्रमाण पत्र हेतु एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

4.6 वाणिज्य विभाग भारतीय रासायनिक उत्पादों को प्रदर्शित करने और वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन करता है। ये पहल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं।

5. इसके अलावा, वर्तमान में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए कोई पीएलआई योजना नहीं है।

*****